## न्यायालय न्यायिक मजि0 पुरवा उन्नाव।

**जमानत प्रार्थनापत्र सं0—441/2026**

**सरकार बनाम पुत्तन आदि**

**दिनांक—05.06.2026**

आवेदिका/अभियुक्ता श्रीमती पूनम देवी की ओर से फौजदारी वाद सं0—486/2025, अ0सं0—21/2024 अन्तर्गत धारा 323,504,506,324,308 भा0दं0सं0, थाना मौरांवा जिला उन्नाव के प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर जमानत हेतु याचना की गयी है।

अभियुक्ता आत्मसर्मपण कर न्यायिक अभिरक्षा में हे।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरेाध किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का एवं गैर जमानतीय एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व उसके दुस्साहस को तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में जमानत आधार पर्याप्त नहीं हैं, तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

अभियुक्त श्रीमती पूनम देवी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**पुरवा, उन्नाव।**